हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.69/2023 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम विपुल कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.6.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (विपुल कुमार पुत्र मदनलाल जी अग्रवाल, निवासी– बीलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म दर्शन किराणा स्टोर, बीलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (चुन्नीलाल चान्दोरा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म काम्बेश्वर एण्ड कम्पनी, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली) व प्रतिवादी संख्या–3 (अशोक कुमार कोठारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, 23 तेल बाजार, धान मण्डी, उदयपुर) व प्रतिवादी संख्या–4 (लालजी भाई रमेश भाई लुहार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म B.B. Dairy Products, Mukhi estat, Beside Petrol Pump, At. Po. Bajwa, Tal. & Dist. Vadodara-391310) अनपुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.9.2022 को फर्म दर्शन किराणा स्टोर, बिलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विपुल कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1883 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1690/Act/2022/1692 दिनांक 06.10.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 27.6.2023 को निर्माता फर्म B.B. Dairy Products के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनित कुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण की ओर से जुर्म स्वीक[illegible]कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध वि[illegible]पर श्री विनित कुमार जैन को सुना [illegible] हमनें पत्र[illegible]स्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा [illegible]धिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 22.9.2022 ......लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.69/2023 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम विपुल कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

को फर्म दर्शन किराणा स्टोर, बिलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विपुल कुमार से फर्म दर्शन किराणा स्टोर की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैक टीन को खोलकर उसमें से खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1883 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1690/Act/2022/1692 दिनांक 06.10.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विपुल कुमार पुत्र मदनलाल जी अग्रवाल, निवासी– बीलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही की फर्म दर्शन किराणा स्टोर, बीलर रोड, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैक्ड टीन को फर्म काम्बेश्वर एण्ड कम्पनी, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली से क्रय किया गया, जो कि प्रतिवादी संख्या–2 (चुन्नीलाल चान्दोरा) की फर्म है। प्रतिवादी चुन्नीलाल चान्दौरा की फर्म कामेश्वर एण्ड कम्पनी ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के पेक्ड टीन को फर्म महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, 23 तेल बाजार, धान मण्डी, उदयपुर से क्रय किया, जो प्रतिवादी संख्या–3 (अशोक कुमार कोठारी) की फर्म है। प्रतिवादी अशोक कुमार कोठारी की फर्म महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के पैक्ड टीन को फर्म B.B. Dairy Products से क्रय किया गया, जो उक्त खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के निर्माण व पैकिंग हेतु निर्माता फर्म B.B. Dairy Products दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म B.B. Dairy Products ने अमानक खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को [illegible] किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.(2)[illegible]08 ......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.69/2023 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम विपुल कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (बाबा ब्राण्ड) के निर्माण व पैकिंग व विक्रय हेतु B.B. Dairy Products, Mukhi estat, Beside Petrol Pump, At. Po. Bajwa, Tal. & Dist. Vadodara-391310 पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, फर्म B.B. Dairy Products, Mukhi estat, Beside Petrol Pump, At. Po. Bajwa, Tal. & Dist. Vadodara-391310 के अधिकृत प्रतिनिधि को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.8.2023 को पेश हो। (के.आर. खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested